30.05.24

पत्रावली पेश हुई। वादीनी वकील अनु०। प्रतिवादी संख्या 1 का वकील उप०। न्यायालय समय में वादीनी वकील को रुक-रुक कर तीन बार आवाज लगाई लेकिन कोई उप० नही आया। अतः वादीनी का वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारीज किया जाता है। पत्रावली जैसल कुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.06.12 20:39:07 IST
Reason: SelfAttested